सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला उप संचालक चकबन्दी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या– 292A/ई0-806/2017-18 दिनांक 01 अगस्त,2017

विषय– **सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–3/2017/13(1)/2007/का–1–2017 दिनांक 06–07–2017 एवं शासनादेश संख्या 13/48/85–कार्मिक–1, दिनांक 26–10–1985 द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राविधान किए गए हैं। स्क्रीनिंग की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर की जानी है। चकबन्दीकर्ता के नियुक्ति प्राधिकारी जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी हैं।

अतः चकबन्दीकर्तागण के नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते आपसे अपेक्षा की जाती है कि एक सप्ताह में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर स्क्रीनिंग की कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही की सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।